International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 212-214

भारतीय संसद की संरचना

कुँवर भास्कर परिहार
एम.ए. राजनीति विज्ञान, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

भारतीय संसद का स्वरूप राष्ट्रपति सहित लोकसभा (निम्न सदन) तथा राज्य सभा (उच्च सदन) से मिलकर बना है। राष्ट्रपति एक ओर गणराज्य का प्रधान है तो वहीं संसद से पारित विधेयकों को कानून बदलने का अन्तिम अधिकार प्राप्त है। भारत की संसदीय परम्परा में लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है तथा मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है राज्यसभा, ब्रिटिश परम्परा के अनुसार 'हाउस ऑफ लार्ड्स' के समान है।

भारतीय संसद एक उच्च स्तरीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संसदीय प्रणाली है। इस लोकतन्त्रात्मक प्रणाली को बहुत सोच विचार के पश्चात चुना गया। इसका मुख्य कारण यह भी है कि हमारी संसदीय प्रणाली पुरातन परम्पराओं के अनुकूल तथा नई परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार अपने स्वरूप को बदलकर कार्य करने में सक्षम है।

भूमिका

भारत की संसदीय प्रणाली, जिसे भारत का 'वेस्टमिंस्टर मॉडल' भी कहा जाता है, केन्द्र सरकार का विधायी अंग है। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणराज्य के संविधान का आरम्भ हुआ और अपने लम्बे इतिहास में पहली बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना। देखा जाये तो लोकतंत्र एवं प्रतिनिधि संस्थाएं भारत के लिये पूर्णतया नई नहीं हैं। प्राचीन काल में ऋग्वेद में 'सभा तथा समिति' नामक दो संस्थाओं का उल्लेख है, जो आधुनिक विधान मण्डलों में ऊपरी सदन के समान थी।

भारतीय संसद का गठन

लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के निकाय में निहित है, उसे 'संसद' कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें राज्य के शासन में संसद का प्रमुख स्थान है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान के अधीन संघीय विधान मण्डल को संसद कहा जाता है, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था की नींव हैं। 26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही भारतीय संसद का गठन हुआ।

भारतीय संविधान के पांचवें भाग के अन्तर्गत अनुच्छेद–79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार एवं शक्तियों का विवरण है। भारतीय संसद की संरचना राष्ट्रपति तथा संसद के दोनों अंग लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर होती है। ये सभी संसद के अंग हैं।

भारतीय संसद के अंग

भारतीय संसद के तीन अंग राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा हैं। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का स्वरूप नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, परन्तु वह संसद का अभिन्न अंग हैं।

राष्ट्रपति

भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। चूंकि वह न तो किसी सदन में बैठता है और न ही किसी सदन की चर्चा में भाग लेता है फिर भी संसद से सम्बन्धित कुछ ऐसे संवैधानिक कृत्य हैं, जिनका निर्वहन करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया एवं कार्य

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचन मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों (राज्यसभा व लोकसभा) के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।

राष्ट्रपति के कुछ चुनिन्दा कार्य होते हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावासान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है।

लोकसभा

लोकसभा, जिसे 'हाउस ऑफ पीपुल' कहा जाता है, संसद का मुख्य आंग है। लोकसभा पांच वर्ष के लिये निर्धारित होती है तथा इसमें सदस्यों की अधिकतम संया 552 हैं इनमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्यों के क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं।

एंग्लो–इण्डियन समुदाय के दो सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्यों से और दो सदस्य एंग्लो–इंडियन समुदाय से हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नामित किये गये हैं।

लोकसभा की अवधि

आम चुनाव के बाद गठित सरकार की पहली बैठक से पांच वर्ष के लिये होती है, जिसके बाद यह स्वतः ही विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को पांच वर्ष की अवधि से पर्वू ही इसे किसी भी समय विघटित करने का अधिकार होता है।

निर्वाचन प्रणाली लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। इस प्रक्रिया के लिये सभी राज्यों को प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

1. निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या को राज्य के बीच ऐसी रीति से वितरित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य के

लिये आवण्टित स्थानों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच यथासम्भव ऐसा अनुपात रहे, जो सब राज्यों के लिये समान हो।
2. जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिये सीटों को आरक्षित किया जाता है। इनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा ही किया जाता है।
3. नई लोकसभा के लिये निर्वाचन के प्रयोजन से राष्ट्रपति, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा (निर्वाचन आयोग द्वारा) एक तिथि निर्धारित होती है। अधिसूचना जारी होने के पश्चात मतदान की तिथि निर्धारित होती है।
4. मतदान पूर्ण होने पर मतों की गणना के आधार पर प्रत्याशी के परिणाम घोषित होते हैं।

सदन का नेता
लोकसभा के नियमों के अन्तर्गत 'सदन का नेता' अर्थात् प्रधानमंत्री होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसके द्वारा मनोनीत किसी अन्य सदस्य को सदन का नेता चुना जा सकता है।

अध्यक्ष
लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित की जाती है।

राज्यसभा
इसे राज्यों की परिषद अथवा काउन्सिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्थायी संस्था है, जिसका विघटन नहीं होता, किन्तु इसके एक–तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। रिक्त हुई सीटों को चुनाव द्वारा फिर से भरा जाता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, इनमें 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं।

इसमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिये राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवण्टन का विवरण दिया गया है।

राज्यसभा की अवधि
यह एक स्थायी संस्था है, जो विघटित नहीं होती। यह निरन्तर चलती रहती है। सेवानिवृत्त हुए सदस्यों की सीटों पर हर तीसरे वर्ष शुरूआत में ही मनोचयन होता है।

निर्वाच प्रणाली
राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक पद्धति के अनुसार एक संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। एक ओर जहां उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सदस्य हैं वहीं मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों से केवल 1–1 सदस्य हैं।

सदन का नेता राज्यसभा में भी एक 'सदन का नेता' होता है। वह राज्यसभा का सदस्य होता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह सदन के कार्यों के लिये महत्वपूर्ण होता है।

राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति होता है। देश का उप–राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है, जब उसे उप–राष्ट्रपति पद से हटाया जाए।

अन्य प्रमुख संसदीय भाग
संसद एक वृहद निकाय है जिसके कार्य, व्यापक एवं जटिलता से परिपूर्ण हैं। अतः कार्यों के सम्पादन के लिये कुछ प्रमुख समितियां बनाई गईं, जो संसदीय कार्यों को सम्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। ये समितियां सलाहकार समितियां हैं, जिन्हें संसद का ही एक उपबन्ध माना जाता है। ये समितियां इस प्रकार हैं।

विपक्ष का नेता
संसद के दोनों सदनों में 1–1 'विपक्ष का नेता' होता है। संसद में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के दसवें हिस्से के आसपास होने पर उसके नेता को विपक्ष का नेता चुना जाता है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका में होता है।

विपक्ष के नेता का कार्य सरकार की आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। संसदीय लोकतंत्र प्रणाली की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें विपक्ष भी काफी मजबूत स्तम्भ होता है।

लोक लेखा समिति (पीएसी)
यह भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है, जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षण करती है। इस समिति की स्थापना वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्तर्गत हई, तब से लेकर इसका अस्तित्व आज भी बना हुआ है। वर्तमान में इस समिति के 22 सदस्य (15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के सदस्य) होते हैं। इस समिति के सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष संसद द्वारा समानुपालिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल हस्तान्तरणीय मत के माध्यम से होता है। सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है तथा किसी मन्त्री का निर्वाचन नहीं हो सकता।

प्राक्कलन समिति
भारत की स्वतंत्रता के पश्चात तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। प्रारम्भ में इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन वर्ष 1956 में इसकी संख्या 30 कर दी गई। ये सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य नहीं होता। इस समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिये सुझाव देना इसे 'लेखा समिति की जुड़वां बहन' भी कहा जाता है।

सार्वजनिक उद्यम समिति
कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार वर्ष 1964 में सार्वजनिक उद्यम समिति गठित की गई। इस समिति के प्रारम्भ में 15 सदस्य थे (10 लोकसभा तथा 05 राज्यसभा) जो वर्ष 1974 में बढ़कर 22 (15 लोकसभा तथा 07 राज्यसभा) हो गये।

संसदीय विशेषाधिकार
संसद के वह अधिकार जो कानून और उन्मुक्तियों से मुक्त होते हैं,

विशेषाधिकार कहलाते हैं। यह संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं।
यह अधिकार इनके कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभाविता के लिये भी आवश्यक है। इन अधिकारों के बिना संसद न तो अपनी स्वायत्तता, महानता तथा सम्मान को सम्भाल सकती है और न ही अपनेसदस्यों को किसी भी संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहनों से सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

References

1. Singh, Prabhat. Has Article 356 been the Centre's AK. 2015, 56?. Livemint.com. Retrieved 18 October 2017.
2. Hegde, Sanjay. The Judiciary Can Stop the Misuse of Article 356, If It Chooses to Act - The Wire. Thewire.in. Retrieved 18 October 2017
3. Article 356: Its Use and Misuse. Jagranjosh.com. 1 April 2016. Retrieved 18 October 2017.
4. Sharma, Chanchal Kumar. A situational theory of pork-barrel politics. India Review. 2017; 16:14-41.
5. Government of India. The Government of India Act. 1935-2017. Internet Archive. Retrieved 18 October 2017.
6. Government of India. The Government of India Act 1935. Internet Archive. 2017. Retrieved 18 October 2017.
7. Freedom of Trade, Commerce and Intercourse in India. Desikanoon.co.in. Retrieved 23 March 2016
8. Constitution of India (PDF). Ministry of Law and Justice, Government of India. 2007, 26.
9. Parliament – Government: National Portal of India. Home: National Portal of India.
10. Parliamentary Committee. Parliament of India. Indian Parliament.
11. Lok Sabha - Committee Home. Introduction. Lok Sabha Secretariat. Archived from the original on 11 March 2016.
12. A decade from now, three states will contribute a third of Lok Sabha MPs. Archived from the original on 8 May 2016.
13. Indian Freedom Struggle. – Culture and Heritage – Know India: National Portal of India. Archived from the original on. 1857-1947-2013.
14. Part V. The Union. Article 81. pp. 46, 47 Archived 24 January 2013 at the Wayback Machine.
15. Bauman, Richard W, Kahana, Tsvi eds. The least-examined branch: the role of legislatures in the constitutional state. Cambridge University Press. 2006.
16. Olson, David M. Democratic legislative institutions: a comparative view. Routledge. 2015.
17. Garner, James Wilford. Legislature. In Gilman, D. C.; Peck, H. T.; Colby, F. M. New International Encyclopedia (1st ed.). New York: Dodd, Mead. 1905.
18. Julian Go. A Globalizing Constitutionalism?, Views from the Postcolony, 1945-2000. In Arjomand, Saïd Amir. Constitutionalism and political reconstruction. Brill. 2007, 92-94.